असिस्टेंट और उद्घोषक को चेतावनी दी गई है।

विभिन्न विज्ञापन प्रसारण केन्द्रों में कार्यरत अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करनी आवश्यक नहीं समझी गई, क्योंकि उनको चूक के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया था।

अखबारी कागज का उत्पादन तथा नय कारखाने की स्थापना करना

412. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय अखबारी कागज बनाने वाले कारखानों की संख्या कितनी है, प्रत्येक कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या है और उनकी क्षमता का कितना उपयोग किया जा रहा है ; और

(ख) अखबारी कागज की इस समय देश में कितनी खपत तथा उत्पादन में अन्तर को खत्म करने के लिए कारखाने स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) देश में इस समय अखबारी कागज का उत्पादन करने वाला एकमात्र एकक मैसर्स नैशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लि0, नेपानगर है। मिल की क्षमता 30,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 75,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष करने का कार्य चल रहा है। इस समय मिल की अधिष्ठापित क्षमता 67,500 मीट्रिक टन अनुमानित है जिसके माध्यम से मिल द्वारा वर्तमान वर्ष में 60,000 मीट्रिक टन का उत्पादन स्तर प्राप्त किये जाने की आशा है।

(ख) इस समय अखबारी कागज की वार्षिक मांग लगभग 2 लाख मीट्रिक टन है। हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन जो भारत सरकार का एक उपक्रम है केरल राज्य में 80,000 मी० टन वार्षिक क्षमता वाली एक अखबारी कागज परियोजना की स्थापना कर रहा है। परियोजना के वर्ष 1979 को तृतीय तिमाही में चालू हो जाने की आशा है। मैसर्स मैसूर पेपर मिल्स को प्रतिवर्ष 75,000 मीट्रिक टन अखबारी कागज तैयार करने हेतु पर्याप्त विस्तार करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किया गया है। इस योजना का कार्यान्वयन संक्रिय रूप से किया जा रहा है तथा 1980-81 में इसके चालू हो जाने की संभावना है।

केन्द्र निदेशकों के पद पर पदोन्नति देने के आधार

414. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वाणिज्य केन्द्रों को मुख्य केन्द्र से मिलाकर वहां पर केन्द्र निदेशक के स्थान पर सहायक केन्द्र निदेशक रखने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार, जब तक यह कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती, विभागीय तरक्की पर बनाये गये केन्द्र निदेशकों की नियुक्तियों को रोकने पर भी विचार कर रही है ;

(ग) क्या वर्गीज कमेटी के अनुसार केन्द्र निदेशक किसी भी वर्ग का हो सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो एक ही वर्ग के व्यक्तियों को पदोन्नति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) विज्ञापन प्रसारण केन्द्रों में किस स्तर के व्यक्ति रखे जाने चाहिएं यह समूचा प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) वरिष्ठ प्रशासनिक पदों को खाली रखा जाना जनहित में नहीं होगा।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार को वर्गीज समिति की सिफारिशों पर निर्णय अभी लेना है। वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार केवल सहायक केन्द्र निदेशक और प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव ही केन्द्र निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र है।

गुजरात में दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या

415. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने 1977-78 के दौरान गुजरात में कितने औद्योगिक लाइसेंस दिये और ये लाइसेंस किन-किन उद्योगों एवं किन-किन स्थानों के लिए दिए गये तथा 31 मार्च, 1978 को किन-किन उद्योगों के आवेदन पत्र लम्बित थे तथा उस के क्या कारण हैं ;

(ख) 1977-78 के लम्बित आवेदन पत्रों में से किन उद्योगों के आवेदन पत्र अब तक मंजूर कर दिये गये हैं तथा वे कब से मंजूर किये गये हैं और 1977-78 के आवेदन पत्रों में से कितने आवेदन पत्र इस समय लम्बित हैं तथा उन को कब तक मंजूर किया जायेगा ; और

(ग) गुजरात में किन-किन स्थानों तथा उद्योगों के लिए 1978-79 में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तथा आवेदकों के नाम क्या हैं ; और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है और कब तक ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क): अप्रैल 1977 से मार्च 1978 की अवधि में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन गुजरात राज्य के लिये 79 आशयपत्र तथा 46 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गये थे। आवेदक का नाम, बनाई जाने वाली वस्तु, क्षमता, परियोजना का स्थापना स्थल आदि सहित आशय पत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा "वीकली बुलेटिन आफ इन्डस्ट्रियल लाइसेंसेज, इम्पोर्ट लाइसेंसेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज" तथा "मन्थली लिस्ट आफ लैटरस आफ इन्टेन्ट एण्ड इन्डस्ट्रियल लाइसेंसेज" में प्रकाशित किया जाता है। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। 31-3-1978 को धातुकार्मिक उद्योग, विद्युत उपकरण, औद्योगिक मशीनरी, रसायन, रंगाई का सामान, औषधियां तथा भेषज जोय वस्तुएं आदि से संबंधित लाइसेंस के आवेदन पत्र लंबित थे।

(ख) अभी तक धातुकार्मिक उद्योग, औद्योगिक मशीनरी, रसायन, विद्युत उपकरण, औषधियां तथा भेषजीय पदार्थ, रंगाई के सामान आदि के लिये स्वीकृतियां दी गई हैं। 1977-78 के आवेदन में से 25 प्रकरणों पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है तथा यथासमय इनके शीघ्र ही निपटाये जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) अप्रैल, मई जून 1978 की अवधि में विभिन्न आवेदकों से धातुकार्मिक उद्योग, विद्युत उपकरण, रसायन, उर्वरक, औषधियां तथा भेषजीय पदार्थ, खाद्य-परिरक्षण उद्योग, चमड़ा, तथा चमड़े का सामान एवं कांच आदि के लिये लाइसेंस के आवेदन पत्र भड़ौंच, बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद, पंचमहाल, राजकोट, कैरा